कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/सी)/2017 दिनांकः अगस्त 25, 2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
वनिता पब्लिक स्कूल, काशी अनाथालाय,
लहुराबीर, थाना चेतगंज, वाराणसी।

विषयः विद्यालय भवन **वनिता पब्लिक स्कूल, काशी अनाथालाय, लहुराबीर, थाना चेतगंज, वाराणसी** भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भः आपका पत्र दिनांकः 14.08.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार विद्यालय भवन **वनिता पब्लिक स्कूल, काशी अनाथालाय, लहुराबीर, थाना चेतगंज, वाराणसी** (पंजीकरण संख्या–**1174/2016–17**) का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया, प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 21.08.2018 के अनुसार विवरण निम्नवत हैः–

A. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय के पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3/(सी) स्कूल/2016 दिनांकः 03.05.2017 द्वारा **वनिता पब्लिक स्कूल, काशी अनाथालाय, लहुराबीर, थाना चेतगंज, वाराणसी** अग्निशमन सुरक्षा निर्गत किया गया है।

B. <u>भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः</u>–भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1. उक्त विद्यालय भवन तीन ब्लाक जो भूतल से द्वितीय तल तक निर्मित है। उपरोक्त विद्यालय भवन के मेन गेट की चौड़ाई–4.50 मीटर, मेन रोड की चौड़ाई 10.0 मीटर तथा एक दो सीढ़ी है। भवन की ऊँचाई **10.5** मीटर है। उक्त भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर **20** अदद ए0बी0सी0 उपलब्ध है।
2. <u>पहुँच मार्गः</u>–उक्त विद्यालय भवन **10.0** मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
3. <u>प्रवेश द्वार की चौड़ाईः</u>–उक्त भवन में प्रवेश हेतु **4.5** मीटर चौड़ाई का प्रवेश द्वार बनाया गया है।
4. <u>होजरीलः</u>–उक्त विद्यालय भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानक के अनुसार होज रील प्रणाली स्थापित किया गया है।
5. <u>टैरेस टैंकः</u>–उक्त विद्यालय भवन के टैरेस पर टैंक क्षमता **10000** (दस हजार) लीटर क्षमता का स्थापित किया गया है।
6. <u>टैरेस पम्पः</u>–टैरेस टैंक के पास 450 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस पम्प अधिष्ठापित किया गया है।
7. <u>अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः</u>–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) **20** अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या–HK 41716 दिनांकः 20.08.2018 के द्वारा रूपया–200/– राजकीय कोष में आवेदक द्वारा कर दिया गया है।
8. पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गयी है।

C. <u>**माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश**</u>

––– 2 पर

<u>**दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–**</u>

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

D. <u>**उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगाः–**</u>

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 1528/9–6–2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्याः 1765/छः–पु0–8–2017–905 (34)/2016 गृह (पुलिस) अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी 2018 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तो का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार **वनिता पब्लिक स्कूल, काशी अनाथालाय, लहुराबीर, थाना चेतगंज, वाराणसी** (पंजीकरण संख्या–**1174/2016–17**) विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर, विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के वैध होगा।

उपरोक्त दिये गये शर्तो का पालन न किये जाने तथा सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील दशा में पाये जाने पर, निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

25 AUG 2018

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

<u>प्रतिलिपिः</u>–अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांकः 21.08.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।